संख्या-03/2015/944/12-4-15-424/2014

प्रेषक,

सर्वजीत राम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 08 जुलाई, 2015

विषय: स्व0 प्रेम कुमार मिश्रा, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, हरदोई की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ए0सी0(चार)/54/चि0प्र0पू0-259, दिनॉक 19-06-2015 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2013 तथा यथा संशोधित नियमावली 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 प्रेम कुमार मिश्रा, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, हरदोई का सहारा हास्पिटल, लखनऊ में दिनॉक 14-02-2014 से दिनॉक 02-03-2014 तक कराये गये इलाज में परीक्षणोपरान्त व्यय हुई धनराशि रू0 5,50,563/-(रूपये पॉच लाख पचास हजार पॉच सौ तिरसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कार्य-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण-03-कृषि प्रसार परियोजना-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2015/944(1)/12-4-2015 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

(3) कोषाधिकारी, हरदोई।

(4) श्रीमती अंजली मिश्रा पत्नी स्व0 प्रेम कुमार मिश्रा, ग्राम व पोस्ट बावन, जनपद हरदोई।

(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सा0) अनुभाग-2

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।